प्रारूप – एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

–:: अधिसूचना ::–

क्रमांक 3319 /भू–अर्जन/2018 धमतरी, दिनांक 10/04/2018

भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
धमतरी	कुरूद	सिहाद	3.14 हेक्टेयर	भखारा बायपास मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28/04/2018 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत – सिहाद तहसील कुरूद में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	:	भखारा बायपास मार्ग निर्माण।
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	:	27
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	:	निरंक।
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	:	निरंक।
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	:	निरंक।
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	:	हॉ।
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	:	हॉ।
8	परियोजना की कुल लागत	:	11.48 करोड़
9	परियोजना से होने वाला लाभ	:	आवागमन में सुविधा तथा दुर्घटनाओं में कमी होगी।
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	:	प्रस्तावित समाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति हेतु उपाय किये जा रहें है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद की मांग अनुसार राशि जमा की जावेगी।
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	:	निरंक। परियोजना से प्रभावित भूमि ग्राम सिहाद का खसरा क्रमांक 20, 21/1, 24, 25, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 32, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 82/1, 84, 354, 356, 357, 358, 359, 370, 371, 372/2, कुल खसरा 30, कुल रकबा 3.14 हेक्टेयर।

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

C.R. [signature] 10/4

(डॉ.सी.आर.प्रसन्ना)
कलेक्टर जिला धमतरी
एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग